भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.03.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2250 का उत्तर

रेलगाड़ियों में अपराध

2250. श्री हाजी फजलुर रहमानः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, चोरी, लूट तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उत्तर रेलवे जोन सहित जोन-वार कुल ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ग) यात्रियों के लिए भयमुक्त यात्रा सुनिश्चित करने तथा रेलगाड़ियों में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

रेलगाड़ियों में अपराध के संबंध में दिनांक 04.03.2020 को लोक सभा में श्री हाजी फजलुर रहमान के अतारांकित प्रश्न सं. 2250 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है, इसलिए रेल परिसरों और चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों का पंजीकरण करना, उनकी जांच करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेल पुलिस (रारेपु)/जिला पुलिस के जरिए करते हैं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) संबंधी अपराध के मामले संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। जब कभी रेलों पर अपराध की स्थिति के बारे में कोई सूचना मांगी जाती है, तब राज्य की राजकीय रेल पुलिस से सूचना मुहैया कराने का अनुरोध किया जाता है। राजकीय रेल पुलिस स्टेशनों द्वारा मुहैया कराए गए डाटा के आधार पर, पिछले वर्ष अर्थात् 2018 की तुलना में वर्ष 2019 के दौरान दर्ज लंबी दूरी की गाड़ियों में महिला यात्रियों से छेड़छाड़, यात्रियों के समान की चोरी (टीओपीबी), यात्रियों से लूटपाट और जहर-खुरानी के मामलों में कमी आई है। बहरहाल, पिछले वर्ष अर्थात् 2018 की तुलना में वर्ष 2019 के दौरान दर्ज लंबी दूरी की गाड़ियों में लूटपाट के मामलों मामूली वृद्धि हुई है। विगत वर्ष अर्थात् 2019 में लंबी दूरी की गाड़ियों में दर्ज महिला यात्रियों से छेड़छाड़, टीओपीबी, लूट-पाट, डकैती और जहर-खुरानी के मामलों की संख्या के जोन-वार ब्यौरे संलग्न हैं।

बहरहाल, गाड़ियों में और स्टेशनों पर महिला यात्रियों सहित यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के सहयोग से रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए जा रहे हैं:-

1. भेद्य और चिह्नित मार्गों/खंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा प्रतिदिन 2200 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 2200 गाड़ियों (औसतन) का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

2. विपत्ति के समय यात्रियों को सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय रेलों पर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर '182' कार्य कर रहा है।

3. यात्रियों की सुरक्षा संवर्धन और उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रेलें ट्विटर, फेसबुक आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए यात्रियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती हैं।

4. चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के विरूद्ध सावधानियां बरतने हेतु यात्रियों को जागरूक करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से निरंतर घोषणाएं की जाती हैं।

5. 202 रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा नेटवर्क, एक्सेस कंट्रोल आदि के जरिए भेद्य स्टेशनों की निगरानी वाली एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) को स्वीकृत किया गया है।

6. यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2136 सवारीडिब्बों (जनवरी 2020 तक) और 522 रेलवे स्टेशनों (जनवरी 2020 तक) में फिक्सड सीसीटीवी कैमरे मुहैया कराए गए हैं।

7. गाड़ियों और रेल परिसरों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के विरूद्ध समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।

8. महानगरों में चलने वाली महिला स्पेशल गाड़ियों का महिला रेल सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा है। अन्य गाड़ियों में जिनमें मार्गरक्षी मुहैया कराए गए हैं, मार्गवर्ती और हाल्ट स्टेशनों पर गाड़ी मार्गरक्षण पार्टियों को अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों, महिला सवारी डिब्बों पर अतिरिक्त निगरानी रखने की हिदायत दी गई है।

9. सभी नव-निर्मित इलैक्ट्रिकल मल्टीप्ल यूनिट (ईएमयू) और कोलकाता मेट्रो के वातानुकूलित रेकों के महिला कंपार्टमेंटों/सवारी डिब्बों में आपातकालीन टॉक बैक प्रणाली और क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस कैमरे मुहैया कराए गए हैं। सभी नव-निर्मित वातानुकूलित ईएमयू रेकों में भी यह प्रणाली मुहैया कराई गई है। सुरक्षा प्रणाली को और मज़बूत बनाने के लिए, दक्षिण पूर्व रेलवे में ईएमयू रेकों में महिला सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरों तथा आपातकालीन टॉक बैक प्रणाली के अलावा, फ्लैशर लाइटें भी मुहैया कराई गई हैं। जब किसी सवारीडिब्बे की अलार्म चेन खींची जाती है, ये लाइटें टिमटिमाना शुरू कर देंगी और अलार्म चेन रीसेट होने तक घंटी बजती रहेगी।

10. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई है।

****

रेलगाड़ियों में अपराध के संबंध में दिनांक 04.03.2020 को लोक सभा में श्री हाजी फजलुर रहमान के अतारांकित प्रश्न सं. 2250 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट।

(क) से (ग): विगत वर्ष अर्थात् 2019 के दौरान भारतीय रेल पर लंबी दूरी की गाड़ियों में दर्ज महिला यात्रियों से छेड़छाड़, यात्रियों के समान की चोरी (टीओपीबी), डकैती, लूट-पाट और जहर-खुरानी के मामलों की संख्या के जोन-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं।

क्षेत्रीय रेलें	लंबी दूरी की गाड़ियों में दर्ज अपराध के मामलों की संख्या				
	महिला यात्रियों से छेड़छाड़	टीओपीबी	डकैती	लूटपाट	जहरखुरानी
मध्य	31	6276	2	149	23
पूर्व	2	190	1	1	6
पूर्व मध्य	9	668	0	1	5
पूर्व तट	4	546	0	11	8
उत्तर	16	1789	3	24	11
उत्तर मध्य	27	1937	2	15	12
पूर्वोत्तर	3	196	0	8	12
पूर्वोत्तर सीमा	4	44	0	0	4
उत्तर पश्चिम	13	576	0	4	6
दक्षिण	16	313	0	25	2
दक्षिण मध्य	8	2197	1	39	9
दक्षिण पूर्व	3	278	0	4	5
दक्षिण पूर्व मध्य	2	591	1	2	2
दक्षिण पश्चिम	1	525	0	25	6
पश्चिम	15	1739	1	6	4
पश्चिम मध्य	18	3061	0	9	10

******